an>

Title : Need to enhance the rate of pension under Employees Pension Scheme, 1995.

**श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा)** ः देश में सेवानिवृत कर्मचारियों को सुरक्षा के साथ उनके वृद्धावस्था जीवन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कर्मचारी पेंशन योजना-1995 को लागू किया गया है। वर्तमान समय में यह पेंशन स्कीम राज्यों के सेवानिवृत कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। इस योजना के विरोध में विगत वर्ष में जंतर-मंतर पर सेवानिवृत कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था। पूरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, सहकारी संगठन इत्यादि के सेवानिवृत कर्मचारी विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र में कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के विरोध में जन आंदोलन कर रहे हैं उन्हें रिटायरमेंट के बाद मात्र 300 से 500 रूपए का पेंशन मिलता है जो आज की महंगाई में बहुत ही कम है जो देश में वृद्धावस्था के अंतर्गत दी जा रही धनराशि से भी बहुत कम है। देश के केन्द्रीय कर्मचारियों को हर वेतन आयोग में बढ़ोतरी से उनकी पेंशन में बढ़ावा मिलता है। आज उनको 15 हजार से 50 हजार तक पेंशन मिल रही है। कर्मचारी पेंशन स्कीम-1995 को 21 वर्ष पूर्व लागू किया गया था, लेकिन आज के माहौल में कर्मचारी पेंशन स्कीम-1995 का रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए कोई महत्व नहीं है क्योंकि 20 साल की सेवा के बाद केवल 500 रूपए मिल रहा है। वर्तमान माहौल में इसमें रिटायर्ड राज्य सरकार के कर्मचारियों के पेंशन में बदलाव किया जाना आवश्यक है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, सहकारी संगठन इत्यादि के सेवानिवृत कर्मचारी को कम से कम 5000 रूपए की पेंशन प्रतिमाह की जाये एवं कर्मचारी पेंशन योजना-1995 में इस हेतु समुचित संशोधन किया जाये।